अध्याय 2: व्यापार सुविधा की संव्यवहार लागत

2.1 व्यापार सुविधा संकेतको में निष्पादन

व्यापार सुविधा निष्पादन का व्यापार सुविधा संकेतको (टीएफआई) के संदर्भ में मूल्यांकन किया जा सकता है। इस लेखापरीक्षा के लिए एमओसीएंडआई, डीजीएफटी तथा सीएंवएजी द्वारा पणधारको का सर्वेक्षण किया गया। इन्होने व्यापार सुविधा प्रक्रियाओं[3] अर्थात अपील प्रक्रियाओं, फीस तथा प्रभारों, दस्तावेजीकरण में औपचारिकता, स्वचालन में औपचारिकता, प्रक्रियाओं में औपचारिकता के साथ-साथ प्रशासन तथा निष्पक्षता में सुधार के लिए मौके का संकेत किया।

समान श्रेणी पर, एनसीएईआर[4] की बिजनेस कन्फिडेंस इंडेक्स (बीसीआई) रिपोर्टे व्यवसाय सुविधा के लिए तथा भारतीय उत्पाद के निर्यात को बढाने के लिए वाणिज्यिक एवं उद्यम मंत्रालय (एमओसीएंडआई) पर निर्भर थी। आरबीआई, योजना आयोग तथा एमओसीएंडआई द्वारा प्रारम्भ किए अध्ययन तथा विश्व विकास संकेतक से इसी प्रकार अन्य रिपोर्टो को व्यापार सुविधा नीति में निर्णय समर्थन के लिए उपयोग किया गया है।

2.2 व्यापार सुविधा के माध्यम से लाभ

खराब सुविधा के कारण संव्यवहार की लागत पर प्रभाव को वाणिज्यिक विभाग की रणनितीक योजना (2020) के अनुसार ₹ 42,000 करोड़ (यूएस $ 6-7 बिलियन) तक अनुमानित किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए पेटरसन इंस्टीटयूट (पीआईआईई 2013) द्वारा अन्य रिपोर्ट आकलन करती है कि प्रमुख व्यापार सुविधा वैश्विक जीडीपी को लगभग $1 ट्रिलियन तक बढ़ा सकती थी (परिशिष्ट 4)। इसे विश्व विकास संकेतक में उपयोग किया गया है जो संव्यवहार लागत पर द्वितीय टॉस्क फोर्स पर निर्भर करता है।

---

[3] व्यापार सुविधा संकेतको पर अन्य अन्तर्राष्ट्रीय, रिपोर्ट: ओईसीडी क्षेत्र से बाहर 107 देशो के लिए विकासशील देशो के व्यापार (ओईसीडी व्यापार नीति पेपर संख्या 144, 2013) पर व्यापार सुविधा का संभावित प्रभाव।

[4] नेशनल काउंसिल ऑफ एपलाइड इकोनोमिक रिसर्च

2.3 संव्यवहार लागत विश्लेषण

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की संव्यवहार लागत में (i) गैर निष्प्रभावी कर तथा शुल्क, (ii) अन्तर्राष्ट्रीय तथा घरेलू दर पर क्रेडिट की भिन्नता लागत, (iii) अन्तर्राष्ट्रीय तथा घरेलू दर पर टैरिफ की भिन्नता लागत तथा विलम्ब के कारण मूल स्तरीय संव्यवहार लागत तथा सीमा शुल्क, पोर्टो, लाइसेंस जारी करना, बैंक, प्रतिदाय आदि अन्तर्निहित थे।

व्यापार के लिए अप्रत्यक्ष लागत में (क) प्रक्रियात्मक विलम्ब अर्थात सीमा शुल्क मंजूरी तथा कारगो हैडलिंग के लिए समय के कारण हुआ अतिरिक्त व्यय। ये लागत उत्पाद के बाजार काल से संबंधित है, (ख) अनुप्रयोग में पूर्वानुमेयता का अभाव या नियमितता तथा औपचारिकता की व्याख्या तथा (ग) लुप्त व्यवसायिक अवसर सम्मिलित थे।

अगस्त 2004 में घोषित एफटीपी 2004-09 के दो मूल उद्देश्य आगामी पांच वर्षों में भारतीय व्यापार के हिस्सा को दोगुना करना तथा रोजगार उत्पन्न करना था। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एफटीपी में किए गए प्रमुख उपाय प्रक्रियात्मक जटिलताओं को सरल करना तथा संव्यवहार लागत को कम करना था। इस पृष्ठ भूमि में, डीओसी ने निर्यातको के लिए लागत पात्रता के मामले का अनुमान लगाने के लिए एफआईईओ तथा निर्यात पर कर, आधारभूत सुविधा, एफटीपी, प्रक्रियाओं आदि के प्रभाव के सर्वेक्षण के लिए एसोचेम को प्रारम्भ किया। आरबीआई ने निर्यात की संव्यवहार लागत पर व्यापार संबंधी उपायों के प्रभाव के सर्वेक्षण पर आधारित एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की (मई 2006)।

स्पष्ट रूप से डीओसी ने भारत में अधिक संव्यवहार लागत के मामले को सम्बोधित करने तथा देश के विदेश व्यापार संव्यवहार को प्रभावित करने वाली संव्यवहार लागत तथा समय को कम करने के उपायो का परामर्श देने के लिए नियमित रूप से समितियो (2005, 2009 तथा 2013) तथा कार्यबल का गठन किया। ये अध्ययन एफटीपी के साथ जुड़े हुए थे।

2.4 संव्यवहार लागत पर रिपोर्ट

वाणिज्यिक विभाग द्वारा कर तथा उद्ग्रहण, अवसंरचना, विदेश व्यापार नीति, बदला हुआ शुल्क ढांचा, क्षेत्रीय नीतियों तथा व्यापार की निर्यात संबंधी प्रक्रियाओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एसोचेम[5] एक सर्वोच्च व्यापार तथा सहायक उद्योग के माध्यम से एक सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया (मार्च 2005)।

सर्वेक्षण में पाया गया कि निर्यातक द्वारा अनुभव किया गया औसत प्रभाव निर्यात के फ्रेट ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य का 13.24 प्रतिशत था। रिपोर्ट का एक प्रमुख अवलोकन यह था कि वित्त ने 4.73-5.72 प्रतिशत के बीच अर्थात निर्यातो के एफओबी मूल्य के लगभग 5.22 प्रतिशत तक देखे गए मामलों के साथ निर्यात प्रक्रिया के तीन महत्वपूर्ण घटको में से निर्यातको को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्यातको को 3.80-4.80 प्रतिशत के बीच अर्थात निर्यातो के एफओबी मूल्य का लगभग 4.30 प्रतिशत के एक औसत पर प्रभावित करने में अवसंरचना दूसरे स्थान पर था। निर्यात प्रक्रियाओ ने निर्यात के एफओबी मूल्य के 3.72 प्रतिशत तक निर्यातको को प्रभावित किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दस महत्वपूर्ण निर्यात करने वाले क्षेत्रों को विश्लेषण के लिए निर्धारित किया गया। उत्पाद के निर्यात/आयात डाटा को उनकी भिन्नता का विश्लेषण करके सूचित किया गया।

एफआईईओ[6] के डीओसी पर निर्भर अन्य अध्ययन ने निर्यात के एफओबी मूल्य पर 19 से 22 प्रतिशत से भिन्न भारतीय निर्यातको के लिए लागत अपात्रता के मामलो की गणना की। रिपोर्ट ने बताया कि इसमें उत्पाद प्रकार, निर्माण प्रक्रिया, श्रम समावेश, भौगोलिक क्षेत्र आदि पर आधारित भिन्नता हो सकती है।

संव्यवहार लागत पर प्रथम टास्क फोर्स ने दावा किया कि चार मंत्रालयों से संबंधित 23 मामलों के कार्यान्वयन ने लगभग ₹ 2100 करोड़ की संव्यवहार लागत को दर्शाया है।

---

[5] वाणिज्य तथा उद्यम के सहायक चेम्बर

[6] भारतीय निर्यात संगठनो का संघ, लागत अपात्रता मामलों के अनुमान, 2005

'निर्यात की संव्यवहार लागत' पर टॉस्क फोर्स की एफटीपी (2009-14) के कारण एमओसी द्वारा 2009 में स्थपना की गई थी, डीओसी के परिणामी बजट ने प्रमुख बातो के रूप में संव्यवहार लागत को दर्शाना जारी रखा तथा विश्व विकास संकेतक अधिक प्रोत्साहक नहीं थे। टॉस्क फोर्स को भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने वाले विभिन्न मामलों को देखना पड़ा तथा सीमा पार व्यापार से जुडी सुसावस्था और लागत को कम करने के लिए 'कार्यान्वयन योग्य' उपचारी उपायो का एक सेट प्रारम्भ किया। रिपोर्ट के दो परिणाम थे - पहला सम्मिलित मामलों के सम्पूर्ण विस्तार तथा प्रत्येक मामले से जुडी उपयुक्त लागत को पहचानना तथा दूसरा, पहचाने सम्भव अधिकतम लाभ क्रियान्वित तथाआवंटित करना। यह एक सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट था तथा 2005 की निष्पादन रिपोर्ट में प्रदर्शित नही था।

समिति ने सात मंत्रालयों से संबंधित 44 सिफारिशे की थी जिनमें से 32 सिफारिशों पर सहमति हुई थी। 32 सिफारिशों में से 21 सिफारिशों को 2011 में प्रस्तुत टॉस्क फोर्स रिपोर्ट में क्रियान्वित करने के लिए सूचित किया गया था। हांलाकि लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि सभी सिफारिशें में अधिकतर मामलो को अभी संबंधित विभागो अर्थात प्लांट संगरोधन प्रयोगशाला का उन्नयन (कृषि मंत्रालय), साईटों-सेनिटरी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन सुविधा (कृषि मंत्रालय), डीजीएफटी सर्वर पर अग्रिम प्राधिकरण तथ ईपीसीजी आवेदन फाइल करने के लिए ऑफलाइन सॉफ्टवेयर (वाणिज्यिक मंत्रालय), ऑनलाइन स्टेटस धारक आवेदन सुविधा (वाणिज्य मंत्रालय), एसीपी ग्राहको के लिए पात्रता मानदण्ड से छूट (राजस्व विभाग), सीमाशुल्क द्वारा एकल फैक्टरी स्टफिंग अनुमति (राजस्व विभाग) द्वारा क्रियान्वित किया जाना है।

संव्यवहार लागत को निर्यात मूल्य के 8 से 10 प्रतिशत तक अनुमानित किया गया। यह लगभग ₹ 1,50,000 करोड़ राशि थी।

रणनितीक योजना, डीओसी (2020) ने 1$^{में}$ टास्क फोर्स दल की सिफारिश के अनुसरण के रूप में स्थापित उपयुक्त मॉनीटरिंग तत्रं के साथ संव्यवहार लागत को कम करने की सामरिक पहल को परिकल्पित किया।

2015 की प्रतिवेदन संख्या 13 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

'निर्यात में संव्यवहार लागत में कमी' पर 2री टास्क फोर्स को 2013 में ऐसी कठिनाइयों जिनका निर्यातक सामना करता है, की जांच करने तथा उन्हें निर्धारित करने और उन्हे कम करने या समाप्त करने के लिए कार्यवाही योग्य सिफारिश करने हेतु गठित किया गया था। रिपोर्ट को जुलाई 2014 में प्रकाशित किया गया। पूर्व टास्क फोर्स की तुलना में द्वितीय टास्क फोर्स के दृष्टिकोण में प्रमुख डिपार्चर ने रिपोर्ट में दर्शाए गए मामलों की कमी से लाभ का कोई मुद्रीकरण करने का प्रयास नहीं किया। यह एक फीडबैक सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट ने नौ मंत्रालयों से संबंधित 46 सिफारिशे तथा भूमि सीमा क्रॉसिंग तथा कुछ अन्य विविध मामलों से सम्बन्धित सात पृथक सिफारिशें की थी।

लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि एफटीपी 2009-14 को इसके कार्यकाल से अधिक बढ़ाया गया था। एफटीपी 2014-18 को डीओसी द्वारा अपनाए व्यापार सुविधा उपायो की आवश्यकता के कारण लिया जा सकता है तथा सभी व्यापार संबंधी नीतियों को संरेखित करने के लिए एक ढांचा दिया।